

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 64/2018

1 सवाईसिंह पुत्र रामकुमार सिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।



अपीलांट

बनाम

- 1 शिम्भूसिंह पुत्र जोरसिंह।
- 2 अनोप कंवर पत्नी सुमेर सिंह।
- 3 नरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह।
- 4 जितेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह।
- 5 सुमन पुत्री सुमेर सिंह।
- 6 सीमा पुत्री सुमेर सिंह।
- 7 अशोक सिंह पुत्र सहजाद सिंह।
- 8 रमेश सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
- 9 हनुमान सिंह पुत्र रणमल सिंह।
- 10 देबूसिंह पुत्र मूलसिंह।
- 11 गोविन्द सिंह पुत्र जोरसिंह।
- 12 बलबीर सिंह पुत्र जोरसिंह।
- 13 भगवान सिंह पुत्र श्योकरण।
- 14 मूलसिंह पुत्र माधोसिंह।
- 15 सज्जन सिंह पुत्र मूलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
- 16 ओमप्रकाश पुत्र अमीचन्द जाति मीणा निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

496
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

- 17 राजेश कुमार गुप्ता पुत्र बिशनदयाल जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
 18 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
 19 राजस्थान सरकार जरिये भू-स्वामी तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।



रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 31.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा उनवानी शिम्भूसिंह आदि बनाम सवाई सिंह वगैरह दावा बाबत खाता विभाजन मुकदमा नम्बर 191/2012

अपील संख्या 63/2018

1 सवाईसिंह पुत्र रामकुमार सिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांत

बनाम

- 1 शिम्भूसिंह पुत्र जोरसिंह।
- 2 अनोप कंवर पत्नी सुमेर सिंह।
- 3 नरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह।
- 4 जितेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह।
- 5 सुमन पुत्री सुमेर सिंह।

406
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर

- 6 सीमा पुत्री सुमेर सिंह।
- 7 अशोक सिंह पुत्र सहजाद सिंह।
- 8 रमेश सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
- 9 हनुमान सिंह पुत्र रणमल सिंह।
- 10 देबूसिंह पुत्र मूलसिंह।
- 11 गोविन्द सिंह पुत्र जोरसिंह।
- 12 बलबीर सिंह पुत्र जोरसिंह।
- 13 भगवान सिंह पुत्र श्योकरण।
- 14 मूलसिंह पुत्र माधोसिंह।
- 15 सज्जन सिंह पुत्र मूलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
- 16 ओमप्रकाश पुत्र अमीचन्द जाति मीणा निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
- 17 राजेश कुमार गुप्ता पुत्र बिशनदयाल जाति महाजन निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
- 18 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
- 19 राजस्थान सरकार जरिये भू-स्वामी तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.01.2017 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 31.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा उनवानी शिम्भूसिंह आदि बनाम सवाई सिंह वगैरह दावा बाबत खाता विभाजन मुकदमा नम्बर 191/2012

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरियां, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

५०६
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



—निर्णय—

दिनांक:- 06.08.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा संख्या 191/2012 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.01.2017 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 31.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। इन दोनों पत्रावलीयों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलीयों में पृथक-पृथक रखी जावें। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। इस पर रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष को धारा 5 पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री के बारे में पहले अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी तथा अपीलांट की कोई प्रोपर तामील नहीं थी वादीगण/रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने तामील कुनिन्दा से मिलकर अपीलांट/प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर तामील करवाई है। दिनांक 11.06.2018 को रेस्पोंडेंट नम्बर 17 ने अपीलांट को सूचना दी कि आपकी कृषि भूमि के सम्बंध में रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने खाता विभाजन करवाकर आपकी कब्जे काशत की भूमि में से रास्ता लेकर निर्णय करवा लिया है। जिसमें रेस्पोंडेंट नम्बर 14 भगवान सिंह ने अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र मेरे व राजेश कुमार गुप्ता व पूर्णसिंह के पक्ष में करवा दिया है। जिसका नामान्तकरण हमारे नाम दर्ज हो गया है। इस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से दिनांक 11.06.2018 को ही सम्पर्क कर वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि प्राप्त की तो मामले की राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तथा दिनांक 12.06.2018 को अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष मामले की जानकारी के लिए गया तो राजस्व कैम्प होने की वजह से प्रार्थी अपीलांट को मामले की दिनांक 12.06.2018 से दिनांक 14.06.2018 तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक

406
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



15.06.2018 को अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी की तथा दिनांक 15.06.2018 को ही मामले की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा दिनांक 16.06.2018 व 17.06.2018 का अवकाश होने के कारण झुंझुनू न्यायालय परिसर में अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा दिनांक 18.06.2018 को प्रार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर मामले की अपील हेतु दस्तावेजात प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जिस पर प्रार्थी अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील तैयार की। प्रार्थी/अपीलांट को दिनांक 15.06.2018 से पूर्व मामले की कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी कोई आपत्ति इस सम्बंध में पैदा ही नहीं हो, इसलिये दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व प्रार्थी/अपीलांट को धारा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. राजस्थान 2014(3) पेज 1136 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री के बारे में पहले अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी एवं प्रोपर तामील नहीं थी एवं वादीगण/रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने तामील कुनिन्दा से मिलकर अपीलांट/प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर तामील करवाई सरासर गलत है। यह कहना गलत है कि दिनांक 11.06.2018 को रेस्पोंडेंट नम्बर 17 ने अपीलांट को सूचना दी कि आपकी कृषि भूमि के सम्बंध में रेस्पोंडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने खाता विभाजन करवाकर आपकी कब्जे काश्त की भूमि में से रास्ता लेकर निर्णय करवा लिया है। यह कहना गलत है कि जिसमें रेस्पोंडेंट 14 भगवान सिंह ने अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र मेरे व राजेश कुमार गुप्ता व पूर्णसिंह के पक्ष में करवा दिया है। जिसका नामान्तकरण हमारे नाम दर्ज हो गया है। इस पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से दिनांक 11.06.2018 को ही सम्पर्क कर वादग्रस्त

106
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि प्राप्त की तो मामले के राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तथा दिनांक 12.06.2018 को अपीलांत विचारण न्यायालय के समक्ष मामले की जानकारी के लिए गया तो राजस्व कैम्प की वजह से प्रार्थी अपीलांत को मामले की दिनांक 12.06.2018 से दिनांक 14.06.2018 तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 15.06.2018 को अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी की तथा दिनांक 16.06.2018 व 17.06.2018 का अवकाश होने के कारण झुंझुनू न्यायालय परिसर में अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा दिनांक 18.06.2018 को प्रार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर मामले की अपील हेतु दस्तावेजात प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जिस पर प्रार्थी अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील तैयार की। प्रार्थी/अपीलांत को दिनांक 15.06.2018 से पूर्व मामले की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांत को निर्णय व डिक्री जैर बहस की शुरु से जानकारी रही है। अपीलांत ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित होने के करीब 8 माह बाद अपील पेश की है। देरी को कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर है तो इस बाबत कोई फौजदारी मुकदमा दायर कर सकते थे। निर्णय व अन्तिम डिक्री का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर जमीन जैर बहस स्थानान्तरित हो चुकी है। अपीलांत ने जानबुझकर देरी से अपील महज तंग व परेशान करने के लिए पेश की है। रेस्पोंडेंट संख्या 1,3 व 11 की तरफ से जवाब दरखास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक/अपीलांत का दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांत ने अपील आठ माह की देरी से प्रस्तुत की है। देरी का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन होकर विवादित भूमि का विक्रय हो चुका है। अपीलांत ने अपनी बहस में तामील का बिन्दु प्रमुखता से उठाया है। जबकि तामील के सन्दर्भ में विधि अनुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



अपीलांट को विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत चाराजोही करनी चाहिए थी। अपील के स्तर पर तामील के बिन्दु पर विलम्ब कन्डोन किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 खारिज योग्य होने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजूजी सिंह चौधरी)
पद - प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर